कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में हुए विलम्ब से संबंधित विशेष अनुमति याचिका में एक मामला सं० 1996 का 3337 [जे० टी० 1997 (2) एस० सी० 463] निबटा रहा था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को रिट याची के मामले पर विचार करने और तर्कसम्मत आदेश द्वारा उसे दो महीने के भीतर निबटाने का निदेश दिया था। न तो उक्त निदेश का अनुपालन किया गया न ही प्रतिवादी ने उक्त निदेश के अनुपालन के क्रम में समय बढ़ाए जाने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध (वाद) खर्च की शास्ति लगाई। इसी संदर्भ में ही उच्चतम न्यायालय ने, न्यायालय के प्रति नौकरशाही की जवाबदेही के बारे में टिप्पणी की । उक्त निर्णय से प्रतीत होता है कि न्यायालय की यह मंशा थी कि न्यायालय के निदेशों का तुरन्त अनुपालन किया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसा नहीं किया जाए तो उसके संबंध में, विभागाध्यक्ष अथवा संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए-सुनाए गए निर्णय, सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु देश के कानून बन जाते हैं।

IAS Officers as Private Secretaries to Union Ministers

3302. SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the practice of posting IAS officers as Private Secretaries to the Union Ministers has been reviewed; and

(b) if so, the details thereof and the action taken to stop this practice which creates lot of problems for the senior officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) and (b) The practice of posting IAS officers as Private Secretaries to Ministers has been reviewed. There is, however, no change in the practice of posting IAS officers as Private Secretaries to Ministers.

भारतीय वन सेवा परीक्षा को हिन्दी में लिया जाना

3303. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वन सेवा की परीक्षा का माध्यम हिन्दी न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हिन्दी को उक्त परीक्षा का माध्यम बनाने का है; और

(ग) इस परीक्षा को कब से हिन्दी में संपन्न कराया जाना प्रारंभ होगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) से (ग) विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा० सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ-समिति से अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं को संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं के माध्यम के रूप में लागू करने के मुद्दे की जांच करने के लिए कहा गया था। उपर्युक्त विशेषज्ञ-समिति द्वारा की गई सिफारिशें, इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। उपर्युक्त मामले की महत्ता, नज़ाकत और इस विषय पर भिन्न-भिन्न मत होने के मद्देनज़र सरकार इस मामले में निर्णय लेने से पहले मतैक्य-आम राय क़ायम करने का प्रयास कर रही है।

Demoralisation of Assistants Cadre

3304. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the act that the Assistants cadre forms the backbone of the Central Secretariat Service;

(b) whether Government are aware of the wide-spread demoralisation of the Assistants cadre due to step-motherly treatment given by the Fifth Central Pay Commission;

(c) the steps Government propose to take to alleviate the status of this cadre

by bringing them on par with similar ranking offcials in other services; and

(d) if not, the reasons therfor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AN PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) Assistants' grade is one of the four grades of the Central Secretariat Service (CSS), namely, the Selection Grade, Grade I, Section Officer, and Assistants.

(b) to (d) Representations have been received from the CSS Forum etc. for granting to the Assistants the pay scale of Rs. 6500—10500/- corresponding to the pre-revised pay scale of Rs. 2000—3200/-, on the analogy of similarly situated officials of some other Services. The demand for the aforesaid pre-revised pay scale was not recommended by the Fifth Central Pay Commission. At present, there is no proposal under consideration to revise the pay scale of Rs. 5500—9000/- sanctioned for the Assistants on the recommendations of the Pay Commission.

अन्य पिछड़ी जातियों के लिए रिक्त पड़े पद

3305. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंडल आयोग की सिफारिशों के श्रेणी-वार कार्यान्वयन के उपरान्त अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य-वार कुल कितने लोगों को नौकरियां दी गई हैं;

(ख) आरक्षण के स्तर के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद सृजित किए जाने की आवश्यकता है और गत दो वर्षों के दौरान कितने पद सृजित किए गए तथा कुल कितने पद अभी भी रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) भविष्य में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) इस संबंध में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना, केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) और (ग) अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण मुहैया करवाने के क्रम में पदों का अलग से सृजित किया जाना अपेक्षित नहीं है। केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार पर, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित सभी श्रेणियों में मौजूद पदों के 27% पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं।

(घ) इस बारे में जारी किए गए अनुदेशों में ऊपरी आयु-सीमा में ढील दिए जाने, निर्धारित मानदण्डों में ढील देकर भर्ती किए जाने और अनारक्षण पर प्रतिबंध लगाए जाने आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे आरक्षित पद उसी वर्ष में ही भरने का हर संभव प्रयास करें, जिस वर्ष में उनका भरा जाना अपेक्षित हो।

Travelling Allowance and LTC Facilities For Pensioners

3306. SHRI S. NIRAIKULATHAN:
SHRI P. PRABHAKAR REDDY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that pensioners have been representing at the various for a for the grant of Medical allowance, Travelling allowance and also LTC once in two years like the in-service officers to enable them to discharge their pressing obligations;

(b) if so, whether Government would consider these demands sympathetically so that the senior citizens are not left in the woods at the fag end of their lives; and

(c) whether Government would extend this facility to the retired employees during the current financial year itself as a bonus during the golden jubilee year?